

# विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र

---

UDID



# UDID क्या है?

विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (UDID) विकलांग व्यक्ति (PWD) के लिए एक पहचान पत्र है। UDID कार्ड को स्वावलंबन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। UDID परियोजना विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है, इसका उद्देश्य यूनिवर्सल आईडी और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली(व्यवस्था) का निर्माण करना है।

कार्ड में देश भर में PWD के जन्म-मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित विवरण और विकलांगता से संबंधित जानकारी शामिल है। RPWD अधिनियम (Act) 2016 के तहत शामिल विकलांग व्यक्ति UDID के लिए पात्र हैं।





## दो प्रकार के यूडीआईडी कार्ड

### Permanent Card

स्थायी कार्ड 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में जारी किया जाता है।


### Temporary Card

अस्थायी कार्ड 18 साल से कम उम्र के लोगों को जारी किया जाता है।

आपको अस्थायी (**temporary**) कार्ड का नवीनीकरण(**renew**) करना होगा। आपका अस्पताल आपको सूचित करेगा कि आपको कितने वर्षों के बाद कार्ड को नवीनीकृत(**renewal**) करने की आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें: कार्ड के नवीनीकरण(**renewal**) के लिए आपको उसी अस्पताल में जाना होगा। यदि आपको स्थायी(**permanent**) कार्ड प्राप्त हुआ है तो कार्ड को नवीनीकृत(**renew**) करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

# UDID के लिए कौन पात्र हैं?

- सभी भारतीय नागरिक UDID कार्ड के लिए पात्र हैं।
- RPWD अधिनियम(Act) 2016 के तहत शामिल विकलांग व्यक्ति UDID के लिए पात्र हैं।
- (विकलांग व्यक्ति का विकलांगता प्रतिशत (percentage) 40 या उससे अधिक होना चाहिए।



# RPWD अधिनियम(**Act**) 2016 के तहत वर्णित 21 विकलांगताएं, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विकलांग श्रेणियां हैं

1. दृष्टीहीनता	2. कम दृष्टि	3. कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति
4. सुनने में परेशानी	5. लोकोमोटर विकलांगता	6. बौनापन
7. बौद्धिक विकलांगता	8. मानसिक बीमारी	9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
10. सेरेब्रल पाल्सी	11. मस्कुलर डिस्ट्रोफी	12. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन्स
13. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेंबिलिटिज़	14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस	15. भाषण और भाषा विकलांगता
16. थैलेसीमिया	17. हीमोफीलिया	18. सिकल सेल रोग
19. बहरा-अंधापन समेत कई अक्षमताएं	20. एसिड अटैक के शिकार	21. पार्किंसंस रोग

# लेकिन मेरे पास विकलांगता प्रमाणपत्र है, मुझे UDID की जरूरत क्यों है?

UDID	विकलांगता प्रमाणपत्र ( <i>Disability certificate</i> )
पूरे भारत में लागू।	राज्यवार लागू।
सभी फायदे पाने के लिए इस एक कार्ड की जरूरत होती है।	विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों की भी जरूरत होती है।

\*कृपया ध्यान दें: कुछ राज्य अभी भी यूडीआईडी (UDID) को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

## क्या विकलांगता प्रमाण पत्र(*Disability certificate*) और यूडीआईडी(*UDID*) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समान है?

- यूडीआईडी(*UDID*) प्रक्रिया ऑनलाइन है लेकिन मूल्यांकन जिला अस्पताल में किया जाना है, जबकि डीसी(**विकलांगता प्रमाण पत्र**) राज्य विशिष्ट और ऑफलाइन प्रक्रिया है। हालांकि, अब स्वावलंबन कार्ड वेबसाइट के साथ **विकलांगता प्रमाण पत्र** और यूडीआईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यूडीआईडी(*UDID*) के लिए आवेदन करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास यूडीआईडी(*UDID*) के लिए आवेदन करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको यूडीआईडी कार्ड(*UDID*) के साथ आवेदन के अंत में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

# UDID के लिए आवेदन(Apply) कैसे करें?

विशिष्ट विकलांगता पहचान दस्तावेज (UDID) के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्वावलंबन वेबसाइट पर पूरी की जा सकती है। UDID के लिए पंजीकरण करने के चरण निम्नलिखित हैं:

एक बार पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद, ऊपर दिए गए फॉर्म में आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको एक नामांकन संख्या प्राप्त होगी। (कृपया रसीद डाउनलोड करें और सहेज कर रख लें। रसीद में बच्चे की UDID नामांकन संख्या और आस-पास के इलाकों में मौजूद सरकारी अस्पतालों के नाम होंगे, जहां आप अपने बच्चे को असेसमेंट के लिए ले जा सकते हैं।)

स्वावलंबन की वेबसाइट [www.swavlambancard.gov.in](http://www.swavlambancard.gov.in) पर जाएं। (यह एक सरकारी वेबसाइट है और यहां उपलब्ध कराए गए सभी डाटा पूरी तरह से सुरक्षित हैं।)

विकलांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। (आप होम पेज स्क्रीन के दाईं ओर लिंक देख सकते हैं। [www.swavlambancard.gov.in](http://www.swavlambancard.gov.in))

फॉर्म पर सभी विवरण भरें: व्यक्तिगत, विकलांगता, रोजगार और पहचान विवरण।

सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (मूल विकलांगता प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

पंजीकरण पूरा करने के लिए 'विवरण जमा करें' पर क्लिक करें।



# स्वावलंबनकार्ड वेबसाइट

The screenshot shows the homepage of the Unique Disability ID website. At the top left is the Government of India emblem and the text 'Unique Disability ID' and 'Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India'. On the top right are links for 'Login', 'Department User Login', and 'Register', along with a search bar and the 'स्वावलंबन Jivayamban' logo. Below this is a navigation menu with icons and labels: Home, About Us, Card Benefits, About Persons with Disabilities, Media Gallery, Suggestions & FAQs, UDID Card Status, and Contact Us. A banner below the menu lists states: MADHYA PRADESH(52/52), UTTAR PRADESH(76/76), MAHARASHTRA(36/36), TELANGANA(33/33), ODISHA(30/30), RAJASTHAN(33/33), TAMIL NADU(38/38), KARNATAKA(30/30), GUJAR. The main content area features a video of a man and a boy speaking, with a 'REGISTER NOW' button. To the right of the video is a list of services: 'Apply for Disability Certificate & UDID Card', 'Apply for Disability Certificate & UDID Card Renewal', 'Apply for Lost UDID Card', 'Track Your Application Status', and 'Download your e-Disability Card & e-UDID Card'. An arrow points from the Hindi text on the right to the first service link.

विकलांगता प्रमाण पत्र  
और UDID कार्ड के  
आवेदन के लिए लिंक।

# आवेदन फार्म

**Unique Disability ID**  
Department of Empowerment of Persons with Disabilities,  
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

**PERSON WITH DISABILITY REGISTRATION FORM**

**1. Personal Details**

Applicant Name : \_\_\_\_\_  
Father's Name : \_\_\_\_\_  
Mother's Name : \_\_\_\_\_  
Date of Birth : \_\_\_\_\_ Age : \_\_\_\_\_  
Mobile No : \_\_\_\_\_ E-mail ID : \_\_\_\_\_  
Gender :  Male  Female  Other  
Mark of Identification : \_\_\_\_\_  
Category :  General  OBC\*  SC\*  ST\* (\*Attached cast certificates for OBC/SC/ST only)  
Blood Group :  O+  O-  A+  A-  B+  B-  AB+  AB-  
Marital Status :  Married\*  Unmarried  Widow  Divorced  Divorcee & Widower  
Name of Guardian/ Caretaker (Attendant / Related Person) : \_\_\_\_\_ His/Her Contact No. : \_\_\_\_\_  
Relation with Person with Disability :  Father  Mother  Wife  Husband  Uncle  Aunt  Sister  Other  
Educational Details :  Primary  Middle/Higher Primary  Senior Secondary  Higher Secondary  
 Diploma  Graduate  PG Diploma  Post Graduate  
 Doctorate

**2. Address Details**

Correspondence Address : \_\_\_\_\_  
Pincode : \_\_\_\_\_  
State/UTs : \_\_\_\_\_ District : \_\_\_\_\_  
City/Sub District/Tehsil : \_\_\_\_\_ Village/Block : \_\_\_\_\_

Document for Address Proof :  Driving Licence  Ration Card  Voter ID  Other (Domicile Certificate)

Permanent Address : \_\_\_\_\_  
Pincode : \_\_\_\_\_  
State/UTs : \_\_\_\_\_ District : \_\_\_\_\_  
City/Sub District/Tehsil : \_\_\_\_\_ Village/Block : \_\_\_\_\_

**3. Disability Details**

Have disability Certificate :  Yes\*  No (\*If yes, please fill in the following details & attach disability certificate)  
Sr./Reg. No. of Certificate : \_\_\_\_\_ Date of Issue : \_\_\_\_\_  
Disability Percentage (%) : \_\_\_\_\_ (For example: 20%, 40%, 50%, 80%)

Details of Issuing Authority :  Chief Medical Officer  Medical Authority

Disability Type :  Blindness  Muscular Dystrophy  Hearing Impairment  Hemophilia  
 Low Vision  Parkinson's Disease  Intellectual Disability  Thalassemia  
 Leprosy Cured  Sickle Cell Disease  Acid Attack Victim  Locomotor Disability  
 Cerebral Palsy  Dwarfism  Mental Illness  Multiple Sclerosis  
 Specific Learning Disabilities  Speech and Language Disorder  Autism Spectrum Disorder  Chronic Neurological Conditions  
 Multiple Disabilities including Deaf Blindness

Disability By Birth :  Yes\*  No Disability Since : \_\_\_\_\_ (In Year)  
Pension Card Number : \_\_\_\_\_ Disability Scheme : \_\_\_\_\_

Hospital Treating Disability : \_\_\_\_\_

Disability Area :  Chest  Ears  Head  Left Eye  Left Hand  Left Leg  Mouth  
 Nose  Shoulder  Throat  Right Eye  Right Hand  Right Leg  Stomach

Disability Due to :  Accident  Congenital  Hereditary

**4. Employment Details**

Employed :  Yes  No\* Unemployed Since : \_\_\_\_\_  
Occupation :  Govt. Job  Professional/Technical  Agriculture  Service & Shops  
 Clerks  Craft/Trade Workers  Daily Wages Worker  Plant/Factory  
 Other Occupation : \_\_\_\_\_

BPL/APL :  N/A  APL  BPL  Antodya

Personal Income (Annual) :  Below 10,000  From 10,000 to 1,00,000  1,00,000 to 5,00,000  > 5,00,000  
Father Income (Annual) :  Below 10,000  From 10,000 to 1,00,000  1,00,000 to 5,00,000  > 5,00,000  
Spouse Income (Annual) :  Below 10,000  From 10,000 to 1,00,000  1,00,000 to 5,00,000  > 5,00,000

**5. Identity Details**

Attached Identity Proof :  Driving Licence  PAN Card  Ration Card  Voter ID  Aadhar Card  
Identity Proof Number : \_\_\_\_\_  
Aadhaar Card Number : \_\_\_\_\_ TIN (NPR) : \_\_\_\_\_  
Any Other State/UTs ID : \_\_\_\_\_ Other State/UTs ID Value : \_\_\_\_\_

I, \_\_\_\_\_, the applicant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my own information and belief.

Date : \_\_\_\_\_ Applicant's Signature/Thumbprint : \_\_\_\_\_

**कृपया ध्यान दें:** एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपके बच्चे का चिकित्सा मूल्यांकन होना महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया अस्पताल पत्राचार के पते पर आधारित होगा।

**युक्ति:** यह मददगार होगा यदि माता-पिता बच्चे को मूल्यांकन के लिए ले जाने से पहले अस्पताल से चिकित्सा मूल्यांकन का विवरण प्राप्त करें

# UDID के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक फोटो या स्कैन की गई प्रति की आवश्यकता होगी:

- मूल आधार कार्ड (यदि स्थायी पता पत्राचार(address) के पते से अलग है, तो स्थायी पते के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होगी।)
- पासपोर्ट आकार की फोटो (15 KB से 30 KB आकार तक की केवल jpeg, jpg, gif, और png photo)
- हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (कृपया खाली सफेद कागज पर लें। 3(KB) से 30(KB) आकार तक की केवल jpeg, jpg, gif, और png photo)
- मूल विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो। 10 (KB) से 100 (KB) आकार के साथ केवल jpeg, jpg, gif और png photo )। यूडीआईडी(UDID) के लिए आवेदन करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है।



# पंजीकरण के बाद के कदम

एक बार आपका पंजीकरण पूरा हो जाए तो फिर आपको अपने **फोन और ईमेल आईडी** पर एक संदेश प्राप्त होगा।

आप स्वावलंबनकार्ड वेबसाइट [www.swavlambancard.gov.in](http://www.swavlambancard.gov.in) से **रसीद और फॉर्म** डाउनलोड कर सकते हैं।

आप अस्पताल (या रसीद में उल्लिखित करीबी अस्पताल) जा सकते हैं, रसीद दिखा सकते हैं और असेसमेंट पा सकते हैं।

एक बार असेसमेंट हो जाने के बाद, आपका **UDID कार्ड** प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा।

आप रसीद/रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/आधार संख्या पर उल्लिखित नामांकन संख्या का इस्तेमाल करके स्वावलंबनकार्ड वेबसाइट [www.swavlambancard.gov.in](http://www.swavlambancard.gov.in) पर अपने UDID कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

एक बार UDID कार्ड बन जाने के बाद आप अपने ई-विकलांगता कार्ड और ई-UDID कार्ड की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

## मैं अपने यूडीआईडी की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

- स्वावलंबनकार्ड की वेबसाइट [www.swalambancard.in](http://www.swalambancard.in) पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगइन का विकल्प दिखाई देगा।
- लॉगइन करने के लिए आपको नामांकन संख्या (जो आपको यूडीआईडी के लिए फॉर्म भरते समय रसीद के साथ मिली थी) और जन्म तिथि डालनी होगी।
- एक बार जब आप अपनी प्रोफाइल में लॉगइन करते हैं, तो आपको कार्ड की 'स्थिति' दिखाई देगी।
- अपने कार्ड की स्थिति जानने के लिए वहां क्लिक करें।

# विकलांग लोगों के लिए रियायतें (concessions)





# शिक्षा



यदि आपका बच्चा 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच है, तो वो आपके पड़ोस के किसी भी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हकदार है।

- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित किसी भी कॉलेज में 5% सीटें योग्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।
- आपका बच्चा एडमिशन ले सकता है, भले ही वह डिग्री कोर्स की आयु-सीमा से 5 वर्ष तक बड़ा हो।
- वे परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय और/या अपने लिए लेखक पाने के हकदार हैं।
- उन्हें NET / SLET परीक्षा के अंकों में 5% की छूट मिलेगी।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान: छात्र को पढ़ाई करने और परीक्षा में बैठने के लिए 5 वर्ष का समय मिलता है। छात्र 5 या 7 विषयों का विकल्प चुन सकता है।

नोट: आरटीई अधिनियम((RTE ACT) के तहत समावेशी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान (कक्षा समर्थन) जैसी योजनाओं के जरिए दी जाती है।

# निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)

इसमें निम्नलिखित विकलांगता शामिल है:

- सीपी, आईडी, एएसडी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी दो डिसेबिलिटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक डिसेबिलिटी सीपी, आईडी, एएसडी होनी चाहिए। यह योजना प्रति वर्ष ₹ 1 लाख तक कवर करती है।

निरामय योजना का लाभ पाने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

कृपया ध्यान दें: निरामया योजना के लिए आवेदन करने के लिए यूडीआईडी(UDID) कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। पीडब्ल्यूडी(PWD) योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

## NIRAMAYA' HEALTH INSURANCE SCHEME REVISED BENEFIT CHART

### ON REIMBURSEMENT BASIS ONLY (W.E.F. APRIL, 2022)


SECTION	SUB-SECTION	DETAIL	SUB LIMIT	OVER ALL LIMIT OF SECTION
I		Over all Limit of Hospitalization		55,000/-
	A	Corrective Surgeries for existing Disability including congenital disability	40,000/-	
	B	Non- Surgical/ Hospitalization	15,000/-	
II		Overall Limit for Out Patient Department (OPD)		19,000/-
	A	OPDtreatment including the regular medical checkup ,medicines, pathology, diagnostic tests, etc.	15,000/-	
	B	Dental Preventive Dentistry	4,000/-	
III		Ongoing Therapiesto reduce impact of disability and disability related complications		20,000/-
IV		Alternative Medicine		4,000/-
V		Transportationcosts		2,000/-

OVERALL LIMIT OF THE COVERAGE FOR A PERSON: Rs.1,00,000/-



# कानूनी संरक्षकता

- एक कानूनी संरक्षकता PwD के लिए एक कानूनी अभिभावक(*legal guardian*) को नियुक्त करने की कानूनी प्रक्रिया है, जिसके पास PwD की ओर से सभी व्यक्तिगत मामलों (कुछ मामलों में वित्तीय भी) पर फैसले लेने का अधिकार है, जो उसके सर्वोत्तम हितों के अनुरूप है।
- बच्चे की उम्र 18 साल के अधिक होनी चाहिए



# ADIP योजना

1,00,000 रुपये से कम की सहायता और उपकरण कवर किए गए हैं। PWD/माता-पिता/अभिभावक की आय के अनुसार सहायता की राशि तय की जाती है।

कुल आय	सहायता की राशि
22,000 रुपये प्रति माह तक	सहायता/उपकरण की पूरी लागत
रु. 22,001/- से रु. 30,000/- प्रति माह	सहायता/उपकरण की लागत का 50%

## योजना के लिए योग्यता :


- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आय 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

# यात्रा

- PwDs रेलवे और बस में रियायतों(*concession*) का लाभ उठा सकते हैं।
- यात्रा रियायत(*concession*) पुराने पीडब्ल्यूडी अधिनियम (PwD Act) 1995 का पालन करती है।
- सिर्फ सात प्रकार की विकलांगता पर विचार किया जाता है।
- सभी PwDs कोच श्रेणी के आधार पर **बस/ट्रेन के किराए में 50%-75%** की छूट के हकदार हैं।
- ये रियायत(*concession*) विकलांग व्यक्ति और एक अनुरक्षक (25% तक) के लिए लागू है।

नोट: बस रियायत (*concession*)अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत पर रियायत(*concession*)निर्भर करती है।



# आय-कर

धारा 80DD उस व्यक्ति को कर का लाभ देता है जो परिवार के किसी सदस्य या विशेष जरूरत वाले आश्रित का समर्थन करता है

<b>80DD For Caregiver</b> (माता-पिता या देखभालकर्ता )	<b>80U For persons with disabilities</b> (व्यक्ति जिनको डिसेबिलिटी है)
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>40-80% OF DISABILTY: Rupees 75,000 deduction</b></li> <li>✓ <b>More than 80 % of Disability- 1.25 lacs of deduction</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>40-80% OF DISABILTY: Rupees 75,000 deduction</b></li> <li>✓ <b>More than 80 % of Disability- 1.25 lacs of deduction</b></li> </ul>

**नोट:** अपने वर्तमान वेतन पर आयकर का भुगतान करने वाले लोग ही पात्र हैं।

## मदद करने के लिए यहां हैं!

नई दिशा के पैरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप और मासिक सहायता ग्रुप एक विशेष  
आवश्यकता वाले बच्चे की परवरिश के संबंध में आपके सभी संदेहों के लिए यहां हैं।

मूल समुदाय में शामिल होने और/या अधिक जानकारी के लिए,  
हमसे संपर्क करें:

**8448448996**

